न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिजारिया बनाम करण S/o पांच्या प्रजापत बमनपुरा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :– 40/2017 निर्णय दिनाँक :– 26/10/2017

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बमनपुरा की आ॰ख॰न॰ 161 कुल रकबा 1-57 किस्म जमीन गै॰मु॰ तलाई में से 0.01 रकबे पर श्री करण S/o पांच्या प्रजापत पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर घुड़साल कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिजारिया द्वारा दिनाँक .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ खेड़ादान के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी करण S/o .... जाति प्रजापत निवासी बमनपुरा को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... करण हाजिर उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 161 रकबा 1.57 में से 0.01 रकबे किस्म गै॰मु॰ तलाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा नॉनरसायक को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 paise का 50 गुणा 3/- (Three Rs) रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तिजारिया भू॰अ॰निरी॰ खेड़ादान को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 26/10/17

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)